RNI No. MAHBIL/2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ४, अंक ५] मंगळवार, मार्च ६, २०१८/फाल्गुन १५, शके १९३९ [पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १०

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम ११६(१) के प्रथम परंतुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है :–

L. A. BILL No. VI OF 2018.

A BILL

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH 2018.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ६ सन् २०१८।

विधेयक जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च २०१८ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है ।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१८ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये ; इसलिए, भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१८ कहलाए । संक्षिप्त नाम।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के लिये, ३८ अरब, ७१ करोड़, २९ लाख, २१ हजार रुपये निकालना ।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर अडतीस अरब, ईकहत्तर करोड़, उनतीस लाख, इक्कीस हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में, सन् २०१८ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष में होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेगी।

विनियोग ।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०१८ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी (४) विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय				
		सामान्य प्रशासन विभाग				
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय--- सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	१,०००	...	१,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग ।	..	१,०००	...	१,०००
		गृह विभाग				
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	७,०००	१,१४,५१,०००	१,१४,५८,०००
		कुल—गृह विभाग।	..	७,०००	१,१४,५१,०००	१,१४,५८,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-२	स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण।	२०३०, स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण।	..	३,०००	...	३,०००
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१७, नगर विकास । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	..	१४,३५,०१,०००	...	१४,३५,०१,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	..	१४,३५,०४,०००	...	१४,३५,०४,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
		राजस्व तथा वन विभाग–जारी		रुपये	रुपये	रुपये
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग				
डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	..	५,०००	...	५,०००
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	..	५,०००	...	५,०००
डी-६	मत्स्योद्योग।	२४०५, मत्स्योद्योग।	..	२१,२७,५१,०००	...	२१,२७,५१,०००
		कुल–कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्योद्योग विभाग।	..	२१,२७,६१,०००	...	२१,२७,६१,०००
		वित्त विभाग				
जी-३	ब्याज अदायगियाँ और ऋण सेवाएँ।	२०४८, ऋण में कमी करने या परिहार्यता के लिए विनियोग। २०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	...	२१,२९,५९,३१,०००	२१,२९,५९,३१,०००
		कुल–वित्त विभाग।	..	...	२१,२९,५९,३१,०००	२१,२९,५९,३१,०००
		विधि तथा न्याय विभाग				
जे-१	न्याय प्रशासन।	.. २०१४, न्याय प्रशासन।	..	१०,०००	४,०००	१४,०००
		कुल---विधि तथा न्याय विभाग।	..	१०,०००	४,०००	१४,०००
		ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग				
एल-३	ग्रामविकास कार्यक्रम।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। ३०५४, सड़क तथा पुल ।	..	१,०००	...	१,०००
		कुल---ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।	..	१,०००	...	१,०००

खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

एम-२	खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम ।	२४०८,	खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम ।	१,८८,२८,९९,०००	. .	१,८८,२८,९९,०००
	कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । . .			१,८८,२८,९९,०००	. .	१,८८,२८,९९,०००

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण ।	२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण ।	१,०००	. .	१,०००
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
	कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग । . .			१,०००	. .	१,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२२०२,	सामान्य शिक्षा ।	२,०००	. .	२,०००
		२२०३,	तकनीकी शिक्षा ।			
		२२०४,	क्रीड़ा प्रतियोगिता ।			
		२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
		२२११,	परिवार कल्याण ।			
		२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
		२२१७,	नगरविकास ।			
		२२२०,	सूचना तथा प्रचार ।			
		२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण ।			
		२२३०,	श्रम तथा नियोजन ।			
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		२२३६,	पोषण ।			
		२४०१,	कृषि कर्म ।			
		२४०२,	मृदा तथा जलसंधारण ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय ।	२४०३,	पशुपालन ।			
		२४०५,	मत्स्य उद्योग ।			
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन ।			
		२४२५,	सहकारिता ।			
		२४३५,	अन्य कृषक कार्यक्रम ।			
		२५०१,	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
		२५०५,	ग्राम नियोजन ।			
		२७०२,	लघु सिंचाई ।	. .	. .	. .
		२८०१,	विद्युत ।			
		२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।			
		२८५१,	ग्रामाद्योग तथा लघुउद्योग ।			
		२८५२,	उद्योग ।			
		३०५४,	सड़क तथा पूल ।			
		३०५५,	सड़क परिवहन ।			
			कुल—जनजाति विकास विभाग। . .	२,०००	. .	२,०००
	उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग					
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा ।	२२०२,	सामान्य शिक्षा ।	४,२९,९१,९०,०००	. .	४,२९,९१,९०,०००
			कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग। . .	४,२९,९१,९०,०००	. .	४,२९,९१,९०,०००
	महिला तथा बालविकास विभाग					
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण ।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	१,२०,७१,४५,०००	. .	१,२०,७१,४५,०००
		२२३६,	पोषण।			
			कुल—महिला तथा बालविकास विभाग। . .	१,२०,७१,४५,०००	. .	१,२०,७१,४५,०००
	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग					
वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।	२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।	१,०००	. .	१,०००
			कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग । . .	१,०००	. .	१,०००
			कुल—क-राजस्व लेखेपर व्यय । . .	७,७४,५५,२२,०००	२१,३०,७३,८६,०००	२९,०५,२९,०८,०००

स्वपूँजीगत लेखे पर व्यय

गृह विभाग

बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय।	४०५५, पुलिस पर पूँजीगत व्यय । ४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय। ५००२, भारतीय रेल–(व्यवसायिक रेखा) पर पूँजीगत व्यय। ५०५५, सड़क परिवहन पर पूँजीगत व्यय ।	१,०००	. .	१,०००
		कुल–गृह विभाग। . .	१,०००	. .	१,०००

वित्त विभाग

जी-९	लोक ऋण और आंतरराज्य समझौता ।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। ६००४, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम। ७८१०, आंतर राज्य समझौता ।	. .	९,६५,९९,७२,०००	९,६५,९९,७२,०००
		कुल–वित्त विभाग। . .		९,६५,९९,७२,०००	९,६५,९९,७२,०००

लोक निर्माण कार्य विभाग

एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०५५, पुलीस पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।	२,०००	. .	२,०००
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय । ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय । ४२३५ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ।	२,०००	. .	२,०००

अनुसूची—समाप्त

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।			
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग । . .	४,०००	. . .	४,०००
		जनजाति विकास विभाग			
टी-११	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे प्रवर्गो और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण।		३६,०००	. .	३६,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग । . .	३६,०००	. .	३६,०००
		कुल—ख-पूँजीगत लेखेपर व्यय । . .	४१,०००	९,६५,९९,७२,०००	९,६६,००,१३,०००
		कुल योग। . .	७,७४,५५,६३,०००	३०,९६,७३,५८,०००	३८,७१,२९,२१,०००

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य ।

प्रस्तुत विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसरण में, राज्य समेकित निधि में से, २०१७-१८ वर्ष के संबंध में कतिपय सेवाओं और प्रयोजनों पर अनुपूरक व्यय पूरा करने के लिए आवश्यक धन के विनियोग का उपबंध करने के लिए पुर:स्थापित किया जाता है ।

रकमें नीचे दर्शायी गई है :—

रुपये

(क) राजस्व व्यय	. .	२९,०५,२९,०८,०००
(ख) पूंजीगत व्यय	. .	९,६६,००,१३,०००
कुल	. .	३८,७१,२९,२१,०००

मुंबई,
दिनांकित ६ मार्च, २०१८।

सुधीर मुनगंटीवार,
वित्त मंत्री ।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.